गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

''सार्वजनिक सूचना''

एतद्द्वारा जन–साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में पायी गयी ड्राफ्टिंग सम्बन्धी त्रुटियों को शासकीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 18.06.2024 में दिये गये अभिमत के अनुसार महायोजना में त्रुटियों के संशोधन पर मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 06.09.2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या 550/2025/8–3099/73/2025, दिनांक 25 मार्च, 2025 के क्रम में उक्त 65 त्रुटियों पर न्यूनतम अवधि हेतु जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तद्क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत उक्त 65 त्रुटियों को मानचित्र पर दर्शित करते हुए जनसाधारण के अवलोकनार्थ स्वागत कक्ष–गा0वि0प्रा0 एवं चीफ को–आर्डीनेटर प्लानर, कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेल (NCR Cell), द्वितीय तल, नगर निगम, गाजियाबाद में दिनांक 28.03.2025 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11.04.2025 की सांय 5:00 बजे तक जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित स्थलों पर किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव स्वागत कक्ष–गा0वि0प्रा0 एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेल, द्वितीय तल, नगर निगम, गाजियाबाद में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb

हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प